अध्याय-16

बिल्डिंग प्लान की जांच

एन.डी.एम.सी. द्वारा बिल्डिंग प्लान योजनाओं को पट्टा विलेख की शर्तों की जांच तथा इस कार्यालय की टिप्पणी के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय को भेज दी जाती हैं। एन.डी.एम.सी. से प्राप्त बिल्डिंग प्लान्स का परीक्षण कम से कम संबंधित संपत्ति के किसी महत्वपूर्ण उल्लंघन/अतिक्रमण के संदर्भ में किया जाएगा। संबंधित पट्टा अनुभाग संपत्ति का अध्ययन बिल्डिंग प्लान्स की योजना की प्राप्ति पर यथा शीघ्र परीक्षण करेगा तथा निम्न बिन्दुओं की जांच करेगाः-

(i) संपत्ति की पुनर्प्रविष्टि तो नहीं की गई है।

(ii) संबंधित पट्टे में कोई ऐसे उल्लंघन/अतिक्रमण तो नहीं हैं जिनका निस्तारण नहीं किया गया है।

(iii) पट्टाधारक पर कोई ऐसे शुल्क तो नहीं अधिरोपित किए गए हैं जिनका भुगतान बाकी हो।

यदि इन जांचों में से कोई भी सकारात्मक पाई जाती है, तो इस संबंध में कार्यालय द्वारा तत्काल बिल्डिंग प्लान कमेटी को कारण सहित टिप्पणी प्रेषित की जाएगी तथा बिल्डिंग प्लान स्वीकृत न करने का अनुरोध किया जाएगा। साथ ही साथ संपत्ति अनुभाग फाइलों को बिल्डिंग प्लान्स हेतु योजना के साथ अभियंता अधिकारी को प्रेषित करेगा जिससे वह बिल्डिंग प्लान्स कमेटी को पूर्ण विवरण सौंप सके।

[सं. 5(3)/90/सीडीएन, दिनांक 29.9.93, कार्यालय आदेश सं. 27/93]